



प्रतिवेदन

किरन्दुल, जिला बस्तर में दिनांक ५ अप्रैल, १९७८ को खनन कर्मकारों द्वारा किये गये प्रदर्शन, उनके तथा पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ तथा पुलिस द्वारा गोली चालन की न्यायिक जांच

द्वारा

श्री के. एस. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)

एकल सदस्य

(शासन के संबंधित संकल्प सहित)

भोपाल
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय

1986

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग (सी-अनुभाग)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 1986.

एफ. क्र. 8-1/85/सी-1.—राज्य शासन द्वारा पारित निम्नलिखित संकल्प] सर्व साधारण की जातकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एस. वर्मा,
गृह सचिव.

संकल्प

एफ. क्र. 8-1/85/सी-1, भोपाल, दिनांक 29 मार्च 1986.

किरन्दुल, जिला बस्तर में दिनांक 5 अप्रैल, 1978 को हुई श्रमिक उग्रता में पुलिस को गोली चालन करना पड़ा था. इस घटना से सम्बद्ध निम्नलिखित बातों पर न्यायिक जांच के आदेश शासन द्वारा एफ क्रमांक 8-9/79/स-एक, दिनांक 20 अप्रैल, 1978 द्वारा दिये गये थे:—

- (क) वे कारण तथा घटना क्रम जिनके परिणामस्वरूप 5 अप्रैल, 1978 को किरन्दुल (जिला बस्तर) में खनन कर्मकारों द्वारा प्रदर्शन किए गए, उनके तथा पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई तथा पुलिस द्वारा गोली चलाई गई.
- (ख) क्या गोली चालन के ठीक पूर्व की तथा ठीक पश्चात् की स्थिति से निपटने के लिए किये गये उपाय पर्याप्त थे ?
- (ग) क्या किया गया उचित प्रयोग अत्यधिक था ?

2. जांच आयोग के सदस्य के रूप में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायभूति श्री एस. जे. सुराना को नियुक्त किया गया था. आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इसलिष्ट सुराना जांच आयोग द्वारा छोड़ा गया कार्य पूर्ण करने हेतु शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-9-78/स-एक दिनांक 28 जुलाई, 1982 द्वारा श्री के. एस. वर्मा, अबकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को उक्त जांच आयोग के एकल सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया. जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 1-7-85 को प्राप्त हुआ.

3. आयोग के समस्त विचारार्थ विषयों के संबंध में श्री के. एस. वर्मा के निष्कर्षों का सारांश नीचे विवादायक है:—

विषय क्रमांक (क)

ठेकेदार मेसर्स अशोक मायनिंग कम्पनी द्वारा दिनांक 22-12-1977 को दिये गये नोटिस के अनुसरण में खनन कर्मकारों की दिनांक 31-3-1978 से की जाने वाली छंटनी (retrenchment) में वर्ष 1978 में श्रमिक प्रदर्शनों का एकमात्र कारण था. श्रमिक संगठनों को यह ज्ञात था कि मेसर्स अशोक मायनिंग कम्पनी तथा क्षेत्र के अन्य ठेकेदारों को लोह अयस्क (iron-ore) के हस्त निकास (manual extraction) के ठेकों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है या अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है एवं मेसर्स अशोक मायनिंग कम्पनी के ठेके की अवधि 31-3-1978 को समाप्त होने पर उनके द्वारा जगाने गये श्रमिकों की छंटनी होगी.

संयुक्त खदान मजदूर संघ ने जनवरी, 1978 से आन्दोलन शुरू किया यद्यपि इसके पूर्व संयुक्त खदान मजदूर संघ तथा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा छंटनी से उबरने का संकेत स्थिति से निपटने के उद्देश्य से निष्कल चर्चों की गई थी और आन्दोलन के दौरान उप-अधायुक्त (केन्द्रीय) से की गई लिखा-पढ़ी भी असफल रही. इस बीच मेसर्स अशोक मायनिंग कम्पनी के मजदूरों ने अपनी जाबज स्वत्वों का भुगतान स्वीकार कर किरन्दुल से 2-4-78 तक प्रस्थान कर गये. संयुक्त खदान मजदूर संघ के इशारे पर आन्दोलन को प्रभावी करने का निर्णय लिया जाकर, लोह अयस्क की डुलाई के विरुद्ध धरना देना, कार्य पर उपस्थित होने वाले श्रमिकों को रोकना बनरल मैनेजर के निवास एवं कार्यालय पर प्रदर्शन करना, श्रमिक कालोनी की पाईप लाईन को नुकसान पहुंचाना तथा एन. एम. डी. सी. की संपत्ति को क्षति पहुंचाना आदि आन्दोलनात्मक कार्य-बाधियां शुरू की गई. संयुक्त खदान मजदूर संघ बैलाडीला के अध्यक्ष श्री इन्द्रजीतसिंह भूमिगत

हों गये तथा वे एक सप्ताह के अन्तराल प्रातः दिनांक 5-4-1978 को प्रथम बार देखे गये। श्री इन्द्रजीतसिंह की पत्नी श्रीमती बसंत रानी, जिन्होंने जनरल मीजर के आवास पर महिलाओं का घटना एवं प्रदर्शन आरंभ किया। उन्हें दिनांक 5-4-1978 को सवेरे ही बंदी बना लिया गया। श्री इन्द्रजीतसिंह ने उसी दिन श्रमिक समुदाय को संबोधित भाषण में पुलिस पर अधिक से अधिक हमला बोलने हेतु भड़काया ताकि खून बहे।

कलेक्टर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से विचार-विमर्श कर इन्द्रजीतसिंह को अन्य जिस किसी ने कानून एवं व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयत्न किया उसे गिरफ्तार करने का विचार किया। एस. डी. एम. श्री दिलीप मेहरा, उप पुलिस अधीक्षक तथा 60 कान्स्टेबल के सहित श्रमिक बस्ती को घेर कर श्री इन्द्रजीतसिंह को गिरफ्तार करने हेतु गये। उक्त बल में रायफलपार्टी नहीं थी। श्रमिकों ने उक्त बल के साथ अश्लिष्ट व्यवहार किया, उन पर लाठी तथा पत्थर से हमला कर काफी तादाद में पुलिस बल जिसमें एस. डी. एम. एवं एस. डी. श्री. (पी.) सम्मिलित थे, घायल किया। श्री दीक्षित (उप-पुलिस अधीक्षक) कुछ कठिनाई से रैस्ट लेस पहुंचे। सर्किल इंस्पेक्टर श्री एन. डी. सिंह तथा थानेदार आर. पी. शर्मा अत्यधिक जल्मी हुए, हेड कान्स्टेबल कोमलसिंह को प्राणघातक चोटें आईं तथा अन्य कई कान्स्टेबलों ने शोषण तथा नजदीक की वेशरम की झाड़ियों में शरण ली। कलेक्टर ने श्रमिक बस्ती में फसे पुलिसकर्मियों की खोज, उद्धार तथा उन्हें बचाने के लिए अतिरिक्त बल की व्यवस्था की। इस बल में साथ ही रेलवे स्टाफ पार्सिल के पास एकत्रित लगभग 2-4 हजार श्रमिकों की भीड़ ने हिंसकता विरता किया। किया गया केन व लाठी चार्ज, अश्रु गैस के गोले छोड़ने तथा हवाई फायर भी पर बेअसरकारक होने पर एस. डी. एम. श्री मेहरा ने प्रभावकारी गोली चालन आदेशित की। कुल 12 चक्र चलाई गई कारगर गोली चालन में 2 या 3 मिनट लगा तथा भीड़ शहीद अस्पताल में मृत्यु हुई। कुछ लोगों को गिरते देख गोली चालन बन्द किया गया।

विषय क्रमांक (ख)

स्थिति से निपटने हेतु गोली चालन के अग्रिम पूर्व एवं पश्चात की गई व्यवस्था समुचित तथा कारगर थी।

विषय क्रमांक (ग)

किया गया बल प्रयोग अत्यधिक नहीं था।

4. राज्य शासन तदनुसार संकल्प करता है कि आयोग के विचारार्थ ईश्वरक (क), (ख) और (ग) पर किये गये निरुद्धों को स्वीकार किया जाए।

5. शासन उन सभी व्यक्तियों और संबंधितों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता है जिनकी किरन्दुल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत्यु हुई या जिन्हें चोटें पहुंची।

6. अंत में शासन अवकाश प्राप्त जिनका एवं सत्र न्यायाधीश श्री के. ए. वर्मा को जांच का कार्य संपन्न करने के लिए धन्यवाद देना चाहता है।

7. आदेश दिया जाता है—

(क) कि, संकल्प की प्रतियां सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाएं और,

(ख) कि, वह संकल्प प्रकाशन विभाग द्वारा समाचार पत्रों को जारी किया जाए और साथ ही उसकी एक प्रति "मध्यप्रदेश राजपत्र" प्रकाशन में प्रकाशित की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपालके नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एस. शर्मा,
गृह सचिव.

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
अध्याय एक	आयोग की नियुक्ति	1—5
अध्याय दो	जांच में भ्राम लेने वाले व्यक्तियों द्वारा दिया गया बयान	5—42
अध्याय तीन	वर्तमान आयोग	44—45
अध्याय चार	सामान्य पृष्ठभूमि	45—54
अध्याय पांच	प्रारंभिक आक्षेप	54—55
अध्याय छह	स्वयं निरीक्षण	55—56
अध्याय सात	वे कारण, जिनके परिणाम स्वरूप खमन कर्मकारों द्वारा प्रदर्शन किये गये.	56—66
अध्याय आठ	वह घटनाक्रम, जिसके परिणामस्वरूप खमन कर्मकारों द्वारा प्रदर्शन किये गये तथा उनके और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई.	66—82
अध्याय नौ	5 अप्रैल 1978 को किरन्तुल (बस्तर जिले) में पुलिस द्वारा गोली चालन.	82—95
अध्याय दस	क्या गोली चालन के ठीक पूर्व तथा ठीक पश्चात् की स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपाय पर्याप्त थे ?	95—102
अध्याय ग्यारह	क्या किया गया बल प्रयोग अत्यधिक था ?	102—103
अध्याय बारह	निष्कर्ष	103—105

परिशिष्टः

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ
परिशिष्ट अ	स्यल नक्शा (केवल मूल प्रतिवेदन सहित)	
परिशिष्ट आ	उन गवाहों की सूची, जिनका परीक्षण किया गया- —	
	वे गवाह, जिनका स्थानीय प्रशासन की ओर से परीक्षण किया गया	107—108
	वे गवाह, जिनका संयुक्त खदान मजदूर संघ की ओर से परीक्षण किया गया.	109
	वे गवाह, जिनका रा. ख. वि. नि. की ओर से परीक्षण किया गया	109
	आयोग की ओर से परीक्षित गवाह	110
परिशिष्ट ई	दस्तावेजों की सूची	110—118